

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16, 1982/पौष 26, 1903
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16, 1982/PAUSA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1982

का०प्रा० 23(अ) :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जनवरी, 1982 के 17 वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध केवल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

“कोजीकोड जिले के किवलाडी तालुक में राजस्वग्राम भटचोली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

[संख्या एस-38013/35/81-एच०आई०]

पी० सिन्हा, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 1982

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 17th day of January, 1982 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

"The areas within the revenue village of Atcholi in Quilandy Taluk of Kozhikode District."

[No. S-38013/35/S1-HI]

P. SINHA, Dy. Secy.